न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
170/2022	21.12.2022	9.2.23

पीठासीन अधिकारी–हरविन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– बाबूलाल आत्मज जगन्नाथ जी जाति मेघवाल निवासी कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– रामदेव आत्मज जगन्नाथ जी जाति मेघवाल
2– मन्जू पुत्री जगन्नाथ जाति मेघवाल
निवासीगण कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
3– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी की ओर से निम्न आधारों पर यह वाद पत्र पेश किया है कि:–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 176 की 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 180 की 1.17 हेक्टर कुल 2 किता की 1.66 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है।

यह कि उपरोक्त भूमि के वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 एवं लाड बाई पत्नी जगन्नाथ के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है, जो जगन्नाथ की मृत्यु के बाद प्राप्त हुई है। जिसमें वादी का नाम दो स्थान पर दर्ज है एक स्थान पर जाति मेघवाल व दूसरे स्थान पर बलाई दर्ज है। जबकि वादी व प्रतिवादीगण की जाति मेघवाल ही है इस कारण बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 की माता लाड़ बाई पत्नी जगन्नाथ जी का देहावसान दिनांक 8.10.2014 को हो गया है तथा प्रतिवादी नं0 2 ने अपने 1/8 हिस्से की भूमि को अपने दोनों भाई वादी व प्रतिवादी नं0 1 को हक त्याग मौखिक रूप से कर रखा है ओर प्रतिवादी नं0 2 अपना हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है इस कारण मोके पर वादी व प्रतिवादी नं0 1 अपने 1/2,– 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

यह कि वादी व प्रतिवादी नं0 1 आपस में सगे भाई है ओर मोके पर 1/2–1/2 हिस्से से काबिज काश्त चले आ रहे है इस कारण राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती किया जाना व उसी अनुसार वादी व प्रतिवादी नं0 1 को 1/2–1/2 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाना व प्रतिवादी नं0 2 का नाम डिलिट किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादी ने प्रतिवादी नं0 1 व 2 से वादी की जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज कराने व माता लाड बाई व प्रतिवादी नं0 2 का नाम डिलीट कराने यानी

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

हटाने व वादी व प्रतिवादी नं0 1 को 1/2, –1/2 हिस्से से खातेदार घोषित कराने हेतु दिनांक 05.12.2022 को कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ने इन्कार कर दिया।

यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में नाम दुरूस्ती व खातेदारी की घोषणा कराने हेतु वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण वादी माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत कर रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

1– कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 176 की 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 180 की 1.17 हेक्टर कुल 2 किता की 1.66 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जाने तथा लाडबाई की मृत्यु होने पर व प्रतिवादी नं0 2 द्वारा हिस्सा रिलीज करने पर उनका नाम डिलीट किया जाकर वादी व प्रतिवादी नं0 1 को 1/2,–1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश व डिक्री पारित की जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा की सम्वत 2074–2077
2– नकल छाया प्रति मत्यु प्रमाण पत्र लाड बाई
3– आधार कार्ड की छाया प्रति (बाबूलाल)
4– आधार कार्ड की छाया प्रति (रामदेव)
5– आधार कार्ड की छाया प्रति (मन्जू बाई)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई।

प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 3 तहसीलदार दीगोद मय पटवारी हल्का रिपोर्ट के साथ जवाब दावा प्रस्तत किया गया जो शामिल फाईल किया गया।

प्रतिवादी नं0 1 की ओर से एकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी व प्रतिवादी की जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज करने एवं लाड बाई का नाम डिलीट करने तथा विवादित आराजी को वादी व प्रतिवादी नं0 1 में 1/2,–1/2 का घातेदार घोषित करने में सहमति व्यक्त की है। प्रकरण में सहमति परक जवाब होने से तनकीयात की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्तुत वादी पत्र में वादी एवं प्रतिवादीण में आपसी सहमति होने पर सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जो शामिल मिसल है। सहमति परक राजीनामा में उभय पक्ष की ओर से उक्त वाद में कथन किया है कि राजस्व रिकार्ड में से माता लाड बाई का नाम हटाया जाना आवश्यक है क्योंकि लाड बाई की मृत्यु हो चुकी है एवं लाड बाई के वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 ही वारिस है इसके अलावा कोई अन्य वारिस नही है। प्रतिवादी नं0 2 ने अपने हिस्से की आराजी को अपने भ्राता वादी व प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में मौखिक हक रिलीज कर दिया है ओर प्रतिवादी नं0 2 अपना हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है इस कारण उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को 1/2, –1/2 हिस्से से खातेदार घोषित कर दिया जावे तथा इसी अनुसार मोके पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

प्रकरण को बहस पर नियत किया गया। वादी–प्रतिवादी नं0 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, जवाब सरकार, राजस्व रिकार्ड के गहन अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

करने पर वादी –प्रतिवादी नं0 1 की जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज किया जाना एवं माता लाड बाई का नाम मृत्यु होने तथा प्रतिवादी नं0 2 द्वारा मौखिक हक त्याग करने पर नाम डिलीट किया जाना उचित प्रतीत होता है। समस्त दस्तावेजात से वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 176 की 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 180 की 1.17 हेक्टर कुल 2 किता की 1.66 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी नं0 2 की जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जाने तथा माता लाड बाई का नाम डिलिट किये जाने एवं प्रतिवादी नं0 2 द्वारा मौखिक हक त्याग करने पर मन्जू बाई का नाम डिलीट किय जाने के आदेश दिये जाते है। तथा वादी व प्रतिवादी नं0 1 को उक्त विवादित आराजी का 1/2,–1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी नं0 2 द्वारा मौखिक हक त्याग करने पर हक त्याग का शुल्क नियमानुसार वसूल किया जाकर पारित निर्णय की पालना की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.2.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)